

हिंदी-मराठी विवाद में राज्यपाल की दखल!

कहा: अगर मुझे पीटा जाएगा तो क्या मैं मराठी बोलने लगूंगा?

रिपोर्ट: जमीर काज़ी, मुंबई

राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी लागू करने के प्रयासों के चलते उपजे हिंदी-मराठी विवाद से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है। अब इस विवाद में राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन ने भी दखल दी है। उन्होंने मराठी न बोलने पर हो रहे दुर्व्यवहार की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा, अगर आप मुझे पीटेंगे, तो क्या मैं तुरंत मराठी बोलना शुरू कर दूंगा? राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने यह सवाल उपस्थित लोगों से किया। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु में हुई एक पुरानी घटना का भी जिक्र किया।



उन्होंने कहा, आजकल मैं अखबारों में देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि अगर तुम मराठी नहीं बोलोगे, तो तुम्हें पीटा जाएगा। ऐसा ही एक मामला तमिलनाडु में भी हुआ था। मैं उस समय सांसद था और एक बार हाईवे पर यात्रा के दौरान दो गुटों में झगड़ा हो रहा था। जब मैं यह देखने नीचे उतरा कि मामला क्या है, तो कुछ लोग मुझे देखकर भाग गए। फिर मैंने उस गुट से बात की जो पीट रहा था। वे मुझसे हिंदी में बात करने लगे, लेकिन मुझे हिंदी अच्छी तरह नहीं आती थी, इसलिए मैंने पास के एक होटल मालिक से पूछा कि वे क्या कह रहे हैं। होटल मालिक ने बताया कि उन्हें इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि वे हिंदी बोल रहे थे और दूसरा गुट उन्हें तमिल बोलने के लिए मजबूर कर रहा था।

इस घटना का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने आगे कहा, आज भी स्थिति वैसी ही है। अगर आप मुझे पीटेंगे, तो क्या मैं तुरंत मराठी बोलने लगूंगा? उस समय मैंने पीटे हुए लोगों से माफी मांगी, उनके खाने की व्यवस्था की और जब तक वे ठीक नहीं हुए, मैं वहां से नहीं गया। राज्यपाल राधाकृष्णन ने यह भी चेतावनी दी कि अगर इस तरह का भाषाई द्वेष फैलाया गया, तो निवेशक महाराष्ट्र से मुंह मोड़ लेंगे। उन्होंने कहा, अगर हम नफरत फैलाएंगे तो कौन सा निवेशक हमारे राज्य में आएगा? इस तरह की बातों से लंबे समय में केवल महाराष्ट्र को

नुकसान होगा। हमें ऐसी हरकतें तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए नहीं करनी चाहिए। हिंदी भाषी सबसे ज्यादा गरीब राज्यपाल ने यह भी कहा कि हमें जितनी हो सके उतनी भाषाएं सीखनी चाहिए। उन्होंने कहा, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, वे ३० प्रतिशत से घटकर ५ से ७ प्रतिशत रह गए हैं और उनमें से अधिकतर हिंदी भाषी हैं। अगर हमें गरीबों की समस्याएं समझनी हैं, तो उनकी भाषा भी समझनी होगी। उन्होंने कहा, हमें मातृभाषा पर गर्व जरूर होना चाहिए और इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम दूसरों की मातृभाषा से नफरत करें। हमें एक-दूसरे के प्रति सहिष्णु होना चाहिए।

बीड जिलाधिकारी कार्यालय में विधायक क्षीरसागर की बैठक

शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के जलापूर्ति, सड़क और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा

बीड, २३ जुलाई (प्रतिनिधि):

बीड के विधायक संदीप क्षीरसागर ने बुधवार को बीड शहर और ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर जिलाधिकारी के साथ बैठक की। इस दौरान अमृत जलापूर्ति योजना, सड़क विकास, भूमि अधिग्रहण और जल जीवन मिशन से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में पूर्व विधायक सय्यद सलीम भी उपस्थित थे।

बीड शहर में अमृत जलापूर्ति योजना के कार्य ठेकेदार की लापरवाही के कारण ठप पड़े हैं। इस समस्या के समाधान हेतु मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नगर परिषद और ठेकेदारों की जिलाधिकारी कार्यालय



में संयुक्त बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से नगर रोड तक नया सीमेंट रोड और डिवाइडर तैयार किया गया है। डिवाइडर के निर्माण के दौरान जिलाधिकारी कार्यालय और जिला

न्यायालय के सामने वाहनों के लिए सड़क क्रॉसिंग की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई।

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक ३६१ एफ पर खरवंडी से नवगण राजुरी मार्ग के निर्माण के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन कई

किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इस संबंध में मूल दृष्टियों की दुरुस्ती और संशोधित निर्णय को लेकर विभाग से समय-समय पर मांग की गई है। अधिग्रहण के बाद भी प्रभावित लोगों को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ा है। इस विषय पर विधायक क्षीरसागर ने विस्तार से चर्चा की।

बीड और शिरूर तालुका में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलापूर्ति योजना के कार्य घटिया और अपूर्ण होने के कारण ग्रामीण जनता परेशान हैं। इस पर विधायक क्षीरसागर ने गांववार शिकायतें सामने रखीं। जिलाधिकारी ने प्रशासनिक स्तर पर तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया।

रोटरी क्लब ऑफ सोलापुर स्मार्ट सिटी के अध्यक्ष डॉ. अकबर साहब नदाफ; मोहम्मद इकबाल बागबान निदेशक पद पर नियुक्त

सोलापुर (संवाददाता):

रोटरी क्लब ऑफ सोलापुर स्मार्ट सिटी की वर्ष २०२५-२६ के लिए १०वीं स्थापना समारोह दमनी ब्लड बैंक हॉल में एक भव्य कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर-नामित रोटेरियन जेश भाई पटेल, असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन अजय दुजोडे, नव-निर्वाचित अध्यक्ष रोटेरियन डॉ. अकबर साहब नदाफ और नव-निर्वाचित सचिव रोटेरियन प्रो. बसवराज बीरजदार उपस्थित रहे।

इस वर्ष के अध्यक्ष पद के लिए भारतीय विद्या पीठ के एमसीए विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अकबर साहब



नदाफ, सचिव के रूप में बसवराज बीरजदार, और आर्कड इंजीनियरिंग कॉलेज के मोहम्मद इकबाल अबूबकर बागबान को निदेशक पद के लिए चुना गया। मुख्य अतिथि रोटेरियन जेश भाई पटेल ने सभी नव-निर्वाचित निदेशकों - रोटेरियन महेश सालोन्के, रोटेरियन अनिल चांडक, रोटेरियन नागेश शेंडगे,

रोटेरियन योगीनाथ कडते, रोटेरियन सत्यम दूधणकर और रोटेरियन मोहम्मद इकबाल बागबान - को रोटरी पिन लगाकर उनका स्वागत किया। साथ ही डॉ. शिव गंगामेंदारी, समीर नदाफ, तौफीक काज़ी, और भरत कदम जैसे नए सदस्यों को भी पिन लगाकर क्लब का सदस्य बनाया गया।

महाराष्ट्र राज्य वक्फ़ बोर्ड: एक लापरवाह संस्थागत कहानी

महाराष्ट्र राज्य वक्फ़ बोर्ड, जो राज्य भर की लाखों एकड़ वक्फ़ संपत्तियों का संरक्षक माना जाता है, आज भ्रष्टाचार, अक्षमता और लापरवाही का प्रतीक बन चुका है। यह बोर्ड, जिस पर समुदाय की अमानत और विश्वास की ज़िम्मेदारी है, दुर्भाग्यवश उस भरोसे को बार-बार तोड़ रहा है।

योग्य अफसरों का अभाव, भ्रष्ट माफिया का कब्ज़ा

वक्फ़ बोर्ड की बदहाली का सबसे बड़ा कारण इसमें कार्यरत अयोग्य और भ्रष्ट अफसर हैं। इन लोगों की नीयत और नीतियों दोनों पर सवाल हैं। इनके काम वक्फ़ की भलाई के बजाय अपने निजी हितों की पूर्ति के इर्द-गिर्द घूमते हैं।

वक्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा और विकास के बजाय इन अफसरों की प्राथमिकता अपनी कुर्सी और कमीशन को बचाना रह गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड का वन पॉइंट प्रोग्राम सिर्फ अपनी पोस्ट बचाने और जनता को अंधेरे में रखने के लिए चल रहा

है। जब चेयरमैन को मंत्री का दर्जा प्राप्त है, तो वह इन 'गैरकानूनी' और भ्रष्ट अफसरों को बाहर क्यों नहीं निकालते? योग्य और ईमानदार लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं होती? क्या यह आपराधिक चुप्पी नहीं है?

बोर्ड का दफ्तर: एक शर्मनाक तमाचा यह अत्यंत शर्मनाक है कि जिसके पास ९५,००० एकड़ वक्फ़ ज़मीन है, वह खुद आज तक अपना स्थायी कार्यालय नहीं बना सका। आज भी वक्फ़ बोर्ड छत्रपति संभाजीनगर में किराए के होटलों में मीटिंग करता है। चेयरमैन और सदस्यों के कार्यालयों का कोई अता-पता नहीं। यह एक राष्ट्रीय अमानत के साथ मज़ाक नहीं तो और क्या है?

अस्पष्ट निर्णय और फर्जी दस्तावेज़ों का खेल

बोर्ड की सुनवाईयां अब केवल औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह गई हैं। खुले कोर्ट की बजाय बंद दरवाज़ों के पीछे फैसले लिए जाते हैं। ड्राफ्ट बाद में तैयार होते हैं

और निर्णय को रिजर्व रखा जाता है।

जब सभी सदस्य और वकील बोर्ड में उपस्थित होते हैं, तो फैसला वहीं क्यों नहीं सुनाया जाता?

सबसे चिंताजनक बात यह है कि फैसलों के ड्राफ्ट बाद में एक क्लर्क द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिन पर चेयरमैन, सदस्य और सीईओ १०-१५ दिन बाद हस्ताक्षर करते हैं। क्या यह झूठा दस्तावेज़ बनाना नहीं है? क्या यह इस्लामी मूल्यों के खिलाफ नहीं है?

वीडियोग्राफी की गोपनीयता: जनता का हक दबाया गया

मीटिंग्स और सुनवाईयों की वीडियोग्राफी जनता के पैसे से करवाई जाती है, लेकिन जब कोई नागरिक ठूँठ के माध्यम से यह वीडियो मांगता है, तो कहा जाता है कि यह केवल मीटिंग नोट्स तैयार करने के लिए है, आम जनता को नहीं दिया जाएगा।

क्या यह बोर्ड अफसरों की निजी जागीर है? क्या यह सार्वजनिक धन नहीं है? जब खर्च जनता ने किया तो उसे यह जानने का

हक क्यों नहीं?

अधिकारियों की गैरहाज़िरी: सिर्फ नाम का दफ्तर

सीईओ कभी दफ्तर में दिखाई नहीं देते। डिप्टी सीईओ कब आते हैं, कब नहीं - किसी को पता नहीं। दफ्तर सूना पड़ा रहता है, और काम सिर्फ रात के अंधेरे में होता है। वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन और सदस्य आखिर कब जागेंगे? क्या ये सब उनके लिए मामूली बातें हैं?

जनता की मांग: पारदर्शिता और जवाबदेही

१. वक्फ़ बोर्ड में सिर्फ ईमानदार और योग्य अफसरों की नियुक्ति हो।
२. सभी मीटिंग्स और सुनवाईयां खुले कोर्ट की तर्ज़ पर जनता के समक्ष हों।
३. फैसले मौके पर सुनाए जाएं, बाद में ड्राफ्टिंग बंद की जाए।
४. वीडियोग्राफी ठूँठ के माध्यम से हर व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाए।
५. बोर्ड अपना स्थायी कार्यालय तुरंत

बनाए।

६. झूठे दस्तावेज़ तैयार करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई हो।

अमानत की हिफाज़त: एक धार्मिक और कानूनी ज़िम्मेदारी

वक्फ़ संपत्तियाँ कौम की अमानत हैं। यह संपत्ति अनाथों, विधवाओं और समाज की भलाई के लिए है। अगर हमने इसके संरक्षण में लापरवाही की, तो न सिर्फ कानूनी तौर पर, बल्कि अल्लाह की अदालत में भी हमें जवाब देना होगा।

अब समय आ गया है कि हम अपनी खामोशी तोड़ें, आवाज़ बुलंद करें और इस सड़ी-गली, भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन खड़ा करें।

अल्लाह हमें सच बोलने, अन्याय के खिलाफ खड़े होने और जुल्म से टकराने की ताकत दे।

लेखक: रियाजुद्दीन देशमुख, सेवानिवृत्त सहायक पुलिस आयुक्त, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद)

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

महायुति सरकार ने महाराष्ट्र का तमाशा बना दिया-विधानसभा में क्लब, बाहर WWF जैसा अखाड़ा-हर्षवर्धन सपकाळ

रिपोर्ट: जमीर काजी, मुंबई

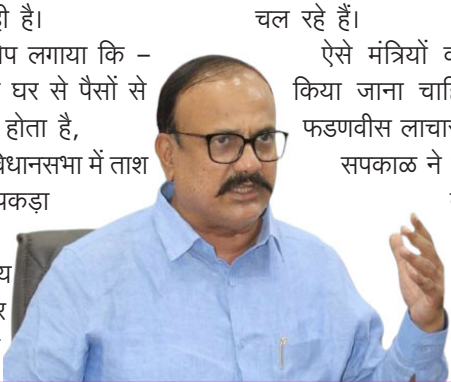
महाराष्ट्र को हमेशा से एक समृद्ध राजनीतिक संस्कृति प्राप्त रही है। यशवंतराव चव्हाण से लेकर विलासराव देशमुख और पृथ्वीराज चव्हाण के समय तक महाराष्ट्र का नाम देशभर में गर्व से लिया जाता था। लेकिन बीते १० वर्षों में भाजपा सरकार ने महाराष्ट्र का तमाशा बना कर रख दिया है। विधानसभा के भीतर जैसे ताश का क्लब चल रहा है

और बाहर का माहौल थथक्र (रेसलिंग) के अखाड़े जैसा बन गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, ऐसा तीखा आरोप कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने बुधवार को किया।

महा युति सरकार पर हमला बोलते हुए सपकाळ ने कहा,

यह सरकार लोकतंत्र को मानने वाली नहीं, बल्कि 'हम करें सो कायदा' की

तर्ज पर चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि – एक मंत्री के घर से पैसों से भरा बैग बरामद होता है, दूसरा मंत्री विधानसभा में ताश (रसी) खेलते पकड़ा जाता है, और गुहराज्य मंत्री के नाम पर बार खुले आम



चल रहे हैं। ऐसे मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस लाचार और असहाय हैं। सपकाळ ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर भी तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा – राज्य में

महिलाएं असुरक्षित हैं, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, गुजरात से महाराष्ट्र में ड्रम्स लाकर उनका काला कारोबार जोरों पर है, युवाओं को नशे की गति में ढकेला जा रहा है, 'आका' और 'कोयता गैंग' बिना किसी डर के आतंक फैला रहे हैं, अवैध कारोबार फल-फूल रहे हैं, पुलिस का खौफ लोगों में खत्म हो

गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में विपक्षियों को दुश्मन नहीं समझा जाता। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और विचारों की लड़ाई विचारों से ही लड़ी जाती है। इसलिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे द्वारा मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिन पर दी गई शुभकामनाओं को लेकर कोई राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, ऐसा उन्हें नहीं लगता – यह बात भी उन्होंने साफ तौर पर कही।

स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव शिवसंग्राम पूरी ताकत के साथ लड़ेगा

स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव लड़ने हैं और जीतने हैं-डॉ. ज्योती मेटे



चुनाव की तैयारी में जुट जाएं-प्रभाकर कोलंगडे

बीड (प्रतिनिधि):

आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव को ध्यान में रखते हुए शिवसंग्राम ने रणनीतिक मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। २३ जुलाई को शिवसंग्राम की अध्यक्ष डॉ. ज्योतीताई विनायकराव मेटे ने सर्कलवार समीक्षा बैठकें लीं। इस दौरान उन्होंने सर्कल और गण स्तर के प्रमुख कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए आगामी चुनावों की पृष्ठभूमि पर कार्यकर्ताओं को तुरंत काम में जुटने के निर्देश दिए।

डॉ. मेटे ने कहा कि आने वाले समय में होने वाले स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव को ध्यान में रखकर शिवसंग्राम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सीधी चर्चा कर सर्कलवार समीक्षा की। इस बैठक में सर्कल, पंचायत समिति गण और विभिन्न गांवों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

पिछले स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों में शिवसंग्राम के संस्थापक अध्यक्ष लोकनेते विनायकराव मेटे साहब पर मतदाताओं ने विश्वास जताते हुए चार जिला परिषद सदस्य और तीन पंचायत समिति सदस्य चुने थे। दुर्भाग्यवश इस बार साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचारों को आगे

बढ़ाते हुए हमें अपने प्रतिनिधियों को स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में भेजना होगा। इसके लिए सभी को चुनाव की तैयारी में लग जाना चाहिए। शिवसंग्राम यह चुनाव पूरी ताकत और जोश के साथ लड़ेगा।

गठबंधन हो या न हो, इसकी चिंता कार्यकर्ताओं को करने की जरूरत नहीं है। स्थानीय स्तर पर जो उचित निर्णय होगा वह लिया जाएगा। जो साथ आएंगे उनके साथ और जो नहीं आएंगे उनके बिना भी यह चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन यह चुनाव लड़ना है और जीतना है, यह संकल्प लेकर सभी कार्यकर्ताओं को मेहनत से लगना चाहिए, सफलता निश्चित रूप से हमारी होगी – ऐसा डॉ. ज्योती मेटे ने अपने भाषण में कहा।

आगामी चुनाव में कैसे रणनीति बनाई जाए, इस विषय पर शिवसंग्राम के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभाकर कोलंगडे ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मार्गदर्शन दिया और चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाएं – यह मूलमंत्र दिया। इस अवसर पर शिवसंग्राम प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभाकर कोलंगडे, जिलाध्यक्ष प्रो. सुभाष जाधव, जिला महासचिव अनिल घुमरे, तालुका अध्यक्ष पंडित माने, मनीषा कुपकर, राजेंद्र आमटे सहित प्रमुख कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे।

संविधान की जीत, न्याय की पुकार ,१९ साल बाद निर्दोष साबित हुए इंजीनियर आसिफ खान को मिले इंसोफ और भरपाई

एकता संगठन ने उठाई आवाज़ सरकार दे १ करोड़ मुआवज़ा, दोषियों पर हो कार्रवाई

जलगांव (अकिल खान ब्यावली)

यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि इंसोफ की वह चीख है जो १९ साल तक सलाखों के पीछे दम तोड़ती रही। यह कहानी है जलगांव के शिरसोली नाका परिसर निवासी एक युवा सविल इंजीनियर आसिफ बशीर खान की ,जिसे २००६ में हुए बम ब्लास्ट केस में झूठे आरोपों के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया. बिना किसी दोष के पूरे उन्नीस वर्ष.मानवाधिकारों का ऐसा हनन,जिसमें एक ज़िंदादिल नौजवान की जवानी,उसके सपने, सम्मान और भविष्य, सब कुछ छीन लिया गया.और अब जब मुंबई उच्च न्यायालय ने उन्हें पूरी तरह निर्दोष घोषित कर रिहा कर दिया,सवाल यह है ,क्या सिर्फ रिहाई से इंसोफ पूरा हो गया ?एकता संगठन ने इस पीड़ा को



एक जनआंदोलन की शकल देते हुए सरकार के सामने चार प्रमुख मांगें रखी हैं: आसिफ बशीर खान को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए. मानसिक, सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाए.एक स्वतंत्र न्यायिक जांच द्वारा दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय हो.न्याय प्रणाली में जवाबदेही व पारदर्शिता के लिए

ठोस सुधार लागू किए जाएं यह सिर्फ आसिफ की लड़ाई नहीं ,यह संविधान की गरिमा,न्यायिक प्रणाली की साख और हर नागरिक की सुरक्षा का प्रश्न है .

एकता संगठन के समन्वयक फ़ारूक शेख ने मानवाधिकार संगठनों, मीडिया और हर जागरूक नागरिक से अपील की है कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं, ताकि

भविष्य में कोई और आसिफ १९ साल की काल कोठरी में बेगुनाही की सज़ा न भुगते. ज़िला अधिकारी आयुष प्रसाद को सौंपा गया मांगपत्र में एकता संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से भेंट कर यह निवेदन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्य व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय व अन्य संबंधित संस्थाओं तक पहुंचाया इस अवसर पर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मुफ्ती खालिद, हाफिज रहीम पटेल,अनीस शाह, मतीन पटेल,मौलाना शफीक सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे.यह केवल एक न्यायिक निर्णय नहीं, यह उस पीड़ा की स्वीकारोक्ति है जिसे संविधान के नाम पर झूठी धाराओं में कैद किया गया. अब वक़्त है ,केवल माफी नहीं, मुआवज़े और जवाबदेही का.

मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर भाजपाद्वारा आयोजित रक्तदान महायज्ञ की रेकॉर्डतोड़ उपलब्धि

‘एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स’ द्वारा सम्मानित



विशेष प्रतिनिधि, मुंबई:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंगलवार को आयोजित किए गए रक्तदान शिविरों ने दो विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। इस उपक्रम की एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आधिकारिक रूप से दर्ज की गई है। बुधवार को एशिया बुक के प्रतिनिधियों ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण को विशेष सम्मान प्रदान किया। इन दो विश्व रिकॉर्ड में शामिल हैं:

१. एक ही दिन में पार्टी की संगठनात्मक संरचना के अंतर्गत कुल १२२१ मंडलों में १०८८ रक्तदान शिविरों का आयोजन।

२. कुल ७८,३१३ यूनिट रक्त का संकलन – जो अब तक का सबसे अधिक है।

यह महाअभियान मंगलवार को प्रदेश भाजपा और डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी न्यास के तत्वावधान में संपन्न हुआ। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के वरिष्ठ परीक्षक संजय भोला और सीमा

मन्नीकोट ने प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण को प्रशस्तिपत्र प्रदान किए।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, भाजपा प्रदेश महासचिव विधायक विक्रांत पाटील, माधवी नाइक, राजेश पांडे, विजय चौधरी, मुख्यालय प्रभारी रविंद्र अनासपुरे, मीडिया विभाग प्रमुख नवनाथ बन, कार्यालय सचिव मुकुंद कुलकर्णी, सह-सचिव भरत राउत आदि प्रमुख लोग उपस्थित थे।

राजस्व कर्मचारियों को अगरस्त का वेतन सिर्फ फेस ऐप पर पंजीकरण करने वालों को ही!

विशेष प्रतिनिधि, मुंबई:

केंद्र सरकार ने राजस्व विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए फेस ऐप और जियो-फेंसिंग प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है, जिससे अब कर्मचारियों की उपस्थिति केवल कार्यालय से ही दर्ज की जाएगी। इसी के चलते, अगरस्त महीने का वेतन केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने फेस ऐप पर पंजीकरण किया है, ऐसे स्पष्ट निर्देश राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दिए हैं।

इस संबंध में जल्द ही एक स्पष्ट सरकारी आदेश जारी किया जाएगा, ऐसा कहते हुए मंत्री ने बताया कि प्रशासन में गति, पारदर्शिता और जनता के प्रति उत्तरदायित्व लाने के लिए विभिन्न विभागों की समीक्षा शुरू की गई है, जिसमें कई मुद्दे सामने आ रहे हैं।

आज रायगढ़ जिले में राजस्व विभाग के कामकाज की समीक्षा की गई। राजस्व अधिकारियों के पास लंबित मामलों पर मंत्री बावनकुले ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि पिछले चार महीनों में राजस्व मंत्री के रूप में उन्होंने सभी जिम्मेदारियों को संभालते हुए ८०० मामलों का निपटारा किया है।

राजस्व मंत्री के निर्देश

बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे ?-ओवैसी



दिल्ली। वृत्तसंस्था

एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी बिहार में इंडिया ब्लॉक के साथ विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं. ओवैसी ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी-एनडीए चुनाव जीते. हालांकि ये उन पर निर्भर है और वो अपना फैसला लेने के हकदार हैं.

ओवैसी ने न्यूज एजेंसी –छन्न से बात करते हुए कहा, 'जो राजनीतिक पार्टी इस पर

चुप है और सत्ता में आना चाह रहे हैं उनको जागना चाहिए. देखो मरने के बाद रोना बेकार है. तुम अभी राजनीतिक रूप से मरे नहीं हो, ज़िंदा रहने के लिए होश में आओ. अभी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष कोशिश कर रहे हैं कि झगड़ा-छऊ- को सत्ता में आने से रोका जाए. हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे. हमने २ विधानसभा में अपना उम्मीदवार उतार दिया है. हमारा सीमांचल के बाहर भी लड़ने का प्लान है.'

महागठबंधन में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा, 'अख्तारुल ईमान हमारे बिहार के अध्यक्ष हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है कि मैंने ५ साल पहले कोशिश की थी इनके २ सांसदों से संसद में बात की थी. अभी भी अख्तारुल ईमान कोशिश कर रहे हैं. हम भी नहीं चाहते कि भाजपा वहां से जीते. ये उन पर निर्भर है वो अपना फैसला लेने के हकदार हैं.'

असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में वोटर

लिस्ट की दोबारा जांच का विरोध करते हुए भारत के मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा था. उन्होंने दावा किया, 'यह कानूनी रूप से संदिग्ध अभ्यास है जो चुनावों में वास्तविक मतदाताओं को बाहर कर देगा.' इतना ही नहीं ओवैसी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि एउख पिछले दरवाजे से बिहार में एनआरसी लागू कर रहा है.

उन्होंने द पत्र लिखा, 'वोटर लिस्ट में

नाम दर्ज कराने के लिए अब हर नागरिक को न सिर्फ यह साबित करने वाले दस्तावेज दिखाने होंगे कि उनका जन्म कब और कहां हुआ, बल्कि यह भी साबित करना होगा कि उनके माता-पिता का जन्म कब और कहां हुआ. यहां तक कि सबसे अच्छे अनुमानों के अनुसार भी सिर्फ तीन-चौथाई बर्थ रजिस्ट्रेशन होते हैं. ज्यादातर सरकारी दस्तावेज खामियों से भरे हुए हैं.'